संख्या-18/2017/आर-334/26-3-2017-4(358)/2007 टी.सी.4

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः03 मार्च 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-41959/2016 कु0 हेमलता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-07.12.2016 एवं रिट याचिका संख्या-50856/2016 आदित्य रत्नम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-24.10.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-5190/स.क./शिक्षा-अ/2016-17,दिनांक-02.02.2017 एवं पत्रांक-5014/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-13.01.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-07.12.2016/24.10.2016 के अनुपालन में याची छात्रा कु0 हेमलता की वर्ष 2013-14 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपये-56,550/- (रूपया छप्पन हजार पांच सौ पचास मात्र) एवं याची छात्र श्री आदित्य रत्नम की वर्ष 2014-15 की दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-79,000/- (रूपया उन्नयासी हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपया-1,35,550/- (रूपया एक लाख पैतिस हजार पाच सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत कर आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-07.12.2016/24.10.2016 के अनुपालन में याची छात्र-छात्रों का कोई प्रत्यावेदन यदि निस्तारित किया जाना हो तो उसे निदेशालय स्तर से स्वमुखरित आदेश से निस्तारित कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-18/2017/आर-334(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बुलन्दशहर, वाराणसी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बुलन्दशहर, वाराणसी।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।